



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 591/2007

याचिकाकर्ता - गौतम प्रसाद नायक

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित:

श्री एच.एस. पटेल, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता — उत्तरवादी/राज्य की ओर से।

आदेश

(दिनांक 31 जनवरी, 2007 को पारित)

(1) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 07.07.2006 (अनुलग्नक पी./1) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण मदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद पंचायत डभरा, जिला जांजगीर-चांपा से उप-स्वास्थ्य केन्द्र, महोरा, विकासखंड बैकुंठपुर, जिला कोरिया में उसके स्वयं के व्यय पर कर दिया गया।

(2) इससे पूर्व, याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका क्रमांक 3867/2006 प्रस्तुत की थी। इस न्यायालय ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत याचिकाकर्ता को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की। साथ ही, उत्तरवादी क्रमांक 2, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, डी.के.एस. भवन,

मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया गया कि वह अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उस पर विचार कर निर्णय लें। यह भी निर्देश दिया गया कि इस बीच यदि याचिकाकर्ता को अब तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तो उसके अभ्यावेदन के निर्णय तक उसे कार्यमुक्त न किया जाए।

(3) उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 03.01.2007 (अनुलग्नक पी./2) के आदेश द्वारा, इस न्यायालय के दिनांक 07.08.2006 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत, यह कहते हुए अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनेक शिकायतों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश पारित किया गया था।

(4) याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका प्रस्तुत कर दिनांक 03.01.2007 (अनुलग्नक पी./2) के उक्त आदेश को चुनौती दी है, जो उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा पारित किया गया है।

(5) यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर किया जा सकता है। जब तक स्थानान्तरण से संबंधित व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या दंडात्मक परिणाम नहीं पड़ता, तब तक उसे बर्खास्तगी, सेवा से पृथक्करण, पदावनति या सेवा समाप्ति जैसे मामलों की भाँति कठोर परीक्षण, दृष्टिकोण एवं जांच के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। विभाग को अनुशासन, शिष्टाचार एवं मर्यादा बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जो सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने तथा प्रशासन के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक है। स्थानान्तरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत की सत्यता जानने हेतु विस्तृत जांच की जाए; इसके लिए संबंधित प्राधिकारी की प्रथमदृष्टया संतुष्टि पर्याप्त है, जो उस समय उपलब्ध शिकायत के आधार पर बनती है। यदि हर मामले में विस्तृत जांच पर बल दिया जाए, तो लोकहित या प्रशासनिक आवश्यकताओं के तहत स्थानान्तरण करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। (देखें: भारत संघ और अन्य बनाम जनार्दन देवनाथ और अन्य, (2004) 4 एससीसी 245, पृष्ठ 251)।

(6) इसके अतिरिक्त, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि स्थानान्तरण सेवा का एक सामान्य प्रक्रिया है और यह नियोक्ता का अधिकार है कि वह लोकहित तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी अधिकारी/कर्मचारी की पदस्थापना कहाँ की जाए, यह तय करे। स्थानान्तरण के मामलों में इस न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित है और यह न्यायालय केवल उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जहाँ दुर्भावना सिद्ध हो, स्थानान्तरण आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी अयोग्य हो, या स्थानान्तरण आदेश नियमों एवं विनियमों के अनुरूप न हो। उपर्युक्त में से कोई भी आधार याचिकाकर्ता के पक्ष में उपलब्ध नहीं है।

(7) परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका संक्षेप में खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।



सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।